-प्रेस नोट-

दिनांकः 24.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर, पुलिस द्वारा नाबालिक का अपहरण करने वाला 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि थाना मण्डी पर दिनांक 20.04.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत वादी की नाबालिग पुत्री का अपहरण करने के सम्बन्ध में **मु0अ0सं0 165/20 धारा 363/366 भादवि** बनाम **नौमान पुत्र रहीस निवासी प्रिन्स कालोनी थाना मण्डी सहारनपुर** के पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं अपहृता की शीघ्र बरामदगी हेतु टीम गठित कर अभियान चलाया गया। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिहं के कुशल नेतृत्व में दिनांक 23.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त नौमान उपरोक्त को भंगी कालोनी कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त नौमान उपरोक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष समय से पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नौमान पुत्र रहीस निवासी प्रिन्स कोलनी थाना मण्डी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक नेमचन्द सिहं थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 नरेन्द्र सोलंकी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 2341 नितिन पँवार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 24.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या की एक अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 10.02.2024 को वादीया श्रीमति नुसरत जहां पत्नी शहजाद निवासी महफूज गार्डन , थाना कोतवाली देहात , सहारनपुर द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण **1. शाहवेज पुत्र जमील 2. नफीसा पत्नी नामालूम 3. श्रीमती शबाना पत्नी जमील निवासीगण मौहल्ला पक्काबाग थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर** द्वारा वादिया की पुत्री सुहालिया से अतिरिक्त दहेज की मांग करना, न देने पर प्रताडित करना जिससे परेशान होकर वादी की पुत्री द्वारा आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर **मु0अ0सं0 27/2024 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम** पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा मुकदमा उपरोक्त का तत्काल संज्ञान लेकर मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्तगणों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर अभियान चलाया गया । जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 24.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्ता **श्रीमती शबाना पत्नी जमील निवासी मौहल्ला पक्काबाग थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को चन्द्रभान की पुलिया से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्ता के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष समय से पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पताः-

शबाना पत्नी जमील निवासी मौहल्ला पक्का बाग थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सचिन पूनिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 840 अनुज आर्य थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 974 अमित भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 388 कपिल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
6. म0का0 1013 मधु शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 24.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस तथा 01 तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण हेतु अवैध शस्त्र एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा ढमोला नाला पटरी मंदिर के सामने से 02 अभियुक्त **1.केशव सिंघल पुत्र बिजेन्द्र सिंघल नि0 मकान मालिक विजेन्द्र कुमार म0न0 209 बी लेन न0 23 नियर एनसीआर पैराडईज टर्नर रोड कलेमेंट टाऊन देहरादून उत्तराखंड उम्र 32 वर्ष** को एक नाजायज तमन्चा 12 बोर मय एक जिंदा कारतूस 12 बोर तथा **2.करन उर्फ साहिल बाटला पुत्र विनोद बाटला नि0 शहंशाह डेयरी वाली गली नवाबगंज चौक थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर उम्र 22 वर्ष** को एक नाजायज तमन्चा 315 बोर मय एक जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 88/24 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम केशव सिंघल व करन उर्फ साहिल बाटला पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया कि हम लोगो को डराने व रोब झाडने के लिए अपने पास अस्लाह रखते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. केशव सिंघल पुत्र बिजेन्द्र सिंघल नि0 मकान मालिक विजेन्द्र कुमार म0न0 209 बी लेन न0 23 नियर एनसीआर पैराडईज टर्नर रोड कलेमेंट टाऊन देहरादून उत्तराखंड।
2. करन उर्फ साहिल बाटला पुत्र विनोद बाटला नि0 शहंशाह डेयरी वाली गली नवाबगंज चौक थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास केशव:-

मु0अ0सं0- 88/24 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट

आपराधिक इतिहास करन उर्फ साहिल:-

मु0अ0स0 251/23 धारा 279/341/353/504/506 भादवि चालानी थाना को0देहात सहारनपुर
मु0अ0सं0- 88/24 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट

बरामदगी का विवरण:-

- 01 तमन्चा 12 बोर मय 01 जिंदा कारतूस 12 बोर
- 01 तमन्चा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. का0 1342 कपिल कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
3. का0 296 तरुण शर्मा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 24.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 40 ग्राम स्मैक व 01 मोटर साईकिल बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण हेतु अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 24.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण **1. शेखर कुमार पुत्र नारायण सिंह निवासी ग्राम रन्धेडी थाना गंगोह सहारनपुर 2. तौहिद पुत्र असलम निवासी ग्राम घाटहेडा थाना चिलकाना सहारनपुर (एचएस 08बी)**को अब्दुल्लापुर अहाडी चौराहे से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से कुल 40 ग्राम स्मैक व एक मोटर साइकिल स्पलेन्डर बिना नम्बर बरामद किया गया। गिरफ्तार दोनो अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना चिलकना पर पर **मु0अ0स0 96/2024 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

पूछताछ पर दोनों अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनो दोस्त है और आने जाने वाले ट्रक ड्राईवरो से स्मैक सस्ते दाम पर खरीदकर आस पास के क्षेत्र में महंगे दाम पर बेच देते है , जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है। आज भी हम दोनो यह स्मैक बेचने जा रहे थे, कि पुलिस टीम द्वारा हमें पकड लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. शेखर कुमार पुत्र नारायण सिंह निवासी ग्राम रन्धेडी थाना गंगोह सहारनपुर।
2. तौहिद पुत्र असलम निवासी ग्राम घाटहेडा थाना चिलकाना सहारनपुर (एच एस 8 बी)।

बरामदगी का विवरण -

- 15 ग्राम स्मैक अभियुक्त तौहिद उपरोक्त से बरामद।
- 25 ग्राम स्मैक व 01 मोटर साईकिल स्पलेन्डर बिना नम्बर शेखर उपरोक्त से बरामद।

अभियुक्त शेखर आपराधिक इतिहासः-

- मु0अ0स0 469/2022 धारा 307 भादवि व 3/25/27 ए एक्ट चालानी थाना गंगोह सहारनपुर।
- मु0अ0स0 96/2024 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर।

अभियुक्त तौहिद का आपराधिक इतिहासः-

- मु0अ0स0 77/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर।
- मु0अ0स0 78/19 धारा 4/25 ए एक्ट चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर।
- मु0अ0स0 692/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना देवबन्द सहारनपुर।
- मु0अ0स0 96/2024 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 विजय सिह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. का0 2056 शुभम सिरोही थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर।

दिनांक: 24.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण हेतु अवैध शस्त्र एवं इसके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त **राशिद उर्फ सोनु पुत्र सगीर निवासी ग्राम गुमटी थाना चिलकाना सहारनपुर** को दिनाकं 24.04.2024 को मलकपुर ग्राम से आगे पुलिया पर से एक देशी तमन्चा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 97/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही कर गिरफ्तार अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

अभियुक्त राशिद उर्फ सोनु पुत्र सगीर निवासी ग्राम गुमटी थाना चिलकाना सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 देशी तमन्चा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 416/20 धारा 3/25 ए एक्ट चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर
2. मु0अ0स0 267/22 धारा 380/411 भादवि चालानी थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. मु0अ0स0 97/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 विजय सिह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. का0 2056 शुभम सिरोही थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 24.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा अपहरण व दुष्कर्म का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाकं 25.02.2024 को वादी द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत **लाखन पुत्र स्व0 ऋषिपाल निवासी ग्राम घाटेडा थाना चिलकाना सहारनपुर** द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे थाना चिलकाना पर **मु0अ0स0 43/2024 धारा 363 भादवि** पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उप निरीक्षक विजय सिह द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नामजद अभियुक्त लाखन को दिनाकं 07.03.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया ओर विवेचना से दिनाकं 07.03.2024 को अभियुक्त **अजब सिह पुत्र धीर सिह निवासी ग्राम पैरागपुर थाना चिलकाना सहारनपुर** का नाम प्रकाश मे आया और अभियोग उपरोक्त मे धारा 366/376/120बी भादवि व 16/17 पोस्को अधिनियम की वृद्दि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 43/2024 धारा—363/366/376/120बी भादवि व 16/17 पाक्सो अधिनियम का वांछित अभियुक्त **अजब सिंह पुत्र धीर सिंह निवासी ग्राम पैरागपुर थाना चिलकाना सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर आज दिनाकं 24.04.2024 को ग्राम पैरागपुर मस्जिद के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

अजब सिह पुत्र धीर सिह निवासी ग्राम पैरागपुर थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 विजय सिह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. का0 2056 शुभम सिरोही थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर।

दिनांक: 24.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटर साईकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 24.04.2024 को वादी श्री गौरव सक्सैना पुत्र अनिल सक्सैना निवासी जनकनगर थाना जनकपुरी सहारनपुर ने उपस्थित थाना आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साईकिल रंग काला रजि0नं0 UP11AL5897 को चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 74/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिए जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी के कुशल नेतृत्व मे गठित पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 24.04.2024 को **सागर कुमार पुत्र लोकेश कुमार निवासी ग्राम कोलकी कला थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** उम्र वर्ष 23 को बाजोरिया रोड तिराहे से मोटर साईकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि मैने एक मोटर साईकिल लगभग 25-30 दिन पहले डा0 शशिकान्त अस्पताल के सामने से चोरी की थी जो मैने एसबीडी अस्पताल के पीछे जाने वाले रास्ते पर ट्यूबवैल के पास ऊंची ऊंची खडी घास मे छिपा रखी है। अभियुक्त द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचने पर मोटर साईकिल बरामद की गयी। मो0सा0 की नम्बर प्लेट पर रजि0न0 UP11BM7706 अंकित है। तथा चेसिस नम्बर MBLHAR089JHJ10297 इंजन न0 HA10AGJHJB0577 अंकित है। मो0सा0 उपरोक्त के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 64/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात दिनांक 03.04.2024 को पंजीकृत किया गया है। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सागर पुत्र लोकेश कुमार निवासी ग्राम कोलकी कला थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर उम्र वर्ष 23

बरामदगी का विवरण –

- 01 मोटर साईकिल स्पलैण्डर प्लस रंग काला रजि0न0 UP11AL5897
- 01 मोटर साईकिल स्पलैण्डर प्लस रंग काला रजि0नं0 UP11BM7706

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 लोकेश कुमार, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
2. उप निरी0(प्रशि0) राजेश कुमार, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 103 राजेन्द्र कुमार, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 976 रविन्द्र कुमार, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर